web: www.nyaysakshi.com | पृष्ठ-2 में पढ़ें संपादकीय-खेल-व्यापार-धर्म-खाना खजाना-राशिफल | पृष्ठ-3 में पढ़ें छत्तीसगढ़-प्रादेशिक

दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, बुधवार, 16 मार्च 2022 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-04, अंक- 168

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

महत्वपूर्ण एवं खास

हिजाब फैसले का विरोध, 35 छात्राओं ने परीक्षा का बहिष्कार किया

बेंगलुरू (आरएनएस)। कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूल-कॉलेज में हिजाब बैन को सही ठहराते हुए कहा है कि हिजाब इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है। कोर्ट के फैसले के बाद इसका विरोध भी शुरू हो गया है। इसी विरोध के तहत कर्नाटक के यादगिर में सरकारी कॉलेज में 35 छात्राओं ने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। प्रिंसिपल ने उन्हें समझाया और हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने को कहा, लेकिन स्टूडेंट्स नहीं मानीं और एग्जाम हॉल से चली गईं। इधर, कोर्ट के फैसले के खिलाफ जहां हाईकोर्ट में याचिका लगाने वाली छात्राओं ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। कोर्ट में अपील करने वाली लड़कियों ने बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फैसले पर निराशा जताई और इसे अपने साथ अन्याय बताया। लड़कियों के वकील एम धर ने कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने हमें निराश किया है, उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में हमें न्याय मिलेगा। उधर, प्रमुख मुस्लिम नेता असदुद्दीन ओवैसी, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्लाह ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस फैसले की निंदा की जिसमें हिजाब को इस्लाम का गैर-जरूरी अंग बताते हुए शिक्षण संस्थानों में प्रतिबंधित कर दिया गया।

कांग्रेस में फिर तूफान, हरीश रावत पर पैसे लेकर टिकट बांटने का लगा आरोप

देहरादून (आरएनएस)। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद प्रदेश कांग्रेस के भीतर तूफान खड़ा हो गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता एक दूसरे पर हार ठीकरा फोड़ रहे हैं, तो वहीं कई नेताओं के बगावती तेवर भी खुलकर सामने आ रहे हैं। पद और पार्टी टिकट बेचने का आरोप लगने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुझे निष्कासित करे। उन्होंने कहा कि उन पर लगे सभी आरोप गंभीर हैं। हरीश रावत ने कहा कि उनके समर्थक की ओर से जब ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं तो फिर मसला और भी गंभीर हो जाता है। रावत ने कहा कि पार्टी इन आरोपों के एवज में उन्हें निष्कासित कर सकती है। हरीश रावत ने रणजीत रावत के आरोपों पर ट्वीट कर कहा कि पद और पार्टी टिकट बेचने का आरोप अत्यधिक गंभीर है और यदि वह आरोप एक ऐसे व्यक्ति पर लगाया जा रहा हो, जो मुख्यमंत्री रहा है, जो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रहा है, जो पार्टी का महासचिव रहा है और कांग्रेस कार्यसमिति का सदस्य है और आरोप लगाने वाला व्यक्ति भी गंभीर पद पर विद्यमान व्यक्ति हो और उस व्यक्ति द्वारा लगाये गये आरोप को एक अत्यधिक महत्वपूर्ण पद पर विद्यमान व्यक्ति व उसके सपोर्टर्स द्वारा प्रचारित-प्रसारित करवाया जा रहा हो, तो यह आरोप और भी गंभीर हो जाता है। यह आरोप मुझ पर लगाया गया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि कांग्रेस पार्टी मेरे पर लगे इस आरोप के आलोक में मुझे पार्टी से निष्कासित करे। होली बुराईयों के समन का एक उचित उत्सव है, होलिका दहन और हरीश रावत रूपी बुराई का भी इस होलिका में कांग्रेस को दहन कर देना चाहिए।

मेरे सीएम पद से हटने से पहले अच्छी थी स्थिति, कांग्रेस की हार के लिए पूरी तरह गांधी परिवार जिम्मेदार : अमरिंदर सिंह

चंडीगढ़ (आरएनएस)। अमरिंदर सिंह ने विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हार के लिए पूरी तरह से गांधी परिवार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने दावा किया कि उनके मुख्यमंत्री पद से हटने से पहले पार्टी की स्थिति पंजाब में बेहतर थी। कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की ओर से पांच राज्यों में पार्टी की हुई हार की समीक्षा करने के एक दिन बाद सिंह का यह बयान आया। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और भ्रष्ट चरणजीत सिंह चन्नी पर कटाक्ष किया। मालूम हो कि सिंह की जगह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री बने थे। पिछले साल मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़ दी और अपनी पार्टी 'पंजाब लोक कांग्रेस' बनाई। सिंह ने पंजाब में कांग्रेस की हार का दोष उन पर डालने की कोशिश करने के लिए सीडब्ल्यूसी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि बेहतर होगा वे दोष मढ़ने के बजाय अपनी गलतियों को स्वीकार करें। कांग्रेस न केवल पंजाब में बल्कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भी हार गई है और पार्टी की शर्मनाक हार के लिए गांधी परिवार पूरी तरह से जिम्मेदार हैं।

आज से सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 12-14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का कोविड 19 टीकाकरण होगा शुरू

नई दिल्ली (आरएनएस)। सभी सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्रों पर कल (16 मार्च 2022), राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस से 12-14 वर्ष आयु वर्ग के सभी लाभार्थियों के लिए मुफ्त कोविड 19 टीकाकरण शुरू होगा। बच्चों को दी जाने वाली कोविड 19 वैक्सीन का नाम कॉर्बेवैक्स है जिसे बायोलॉजिकल ई. लिमिटेड, हैदराबाद ने तैयार किया है। ऑनलाइन पंजीकरण (16 मार्च 2022 को सुबह 9 बजे से) के जरिए या टीकाकरण केंद्र पर जाकर भी वैक्सीन ली जा सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) के माध्यम से एक बैठक में इसके बारे में बताया।

इससे पहले केंद्र सरकार ने 16 मार्च 2022 से 12-13 वर्ष और 13-14 वर्ष आयु समूहों (2008, 2009 और 2010 में पैदा हुए बच्चों यानी जो पहले से ही 12 वर्ष से अधिक आयु के हैं) के बच्चों के लिए कोविड 19 टीकाकरण शुरू करने के फैसला लिया था। इसके अलावा, 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग अब कल से एहतियाती खुराक लेने के पात्र हैं, क्योंकि इस आयु वर्ग के लिए सहरुग्णता की शर्त हटा दी गई है। एहतियाती खुराक (पिछली दो खुराकों के समान) को दूसरे टीकाकरण की तारीख के 9 महीने (36 सप्ताह) के बाद दिया जाना है। इस संबंध में विस्तृत निर्देश और परिचालन दिशा-निर्देश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेज दिए गए हैं।

राज्यों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई थी कि टीकाकरण की

तारीख को 12 वर्ष की आयु प्राप्त करने वालों को ही कोविड 19 रोधी टीका लगाया जाए; यदि लाभार्थी पंजीकृत है, लेकिन टीकाकरण की तारीख को 12 वर्ष की आयु पूरी नहीं है, तो कोविड 19 वैक्सीन नहीं दी जानी चाहिए। टीकाकरण दलों को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है कि विशेष रूप से 12-14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए टीकों का मिश्रण नहीं होना चाहिए। अन्य टीकों के साथ मिश्रण से बचने के लिए राज्यों को 12-14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के टीकाकरण के लिए निर्धारित कोविड 19 टीकाकरण केंद्रों के माध्यम से समर्पित टीकाकरण सत्र आयोजित करने की सलाह दी गई थी।

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सूचित किया गया कि वर्तमान में को-विन (सीओडब्ल्यूआईएन) में लाभार्थी की आयु को जन्म वर्ष के आधार पर छांटा जा रहा है। उम्र (12 वर्ष) के सत्यापन की जिम्मेदारी टीकाकरण के समय पहले कुछ दिनों के लिए टीकाकरणकर्ता/सत्यापनकर्ता के पास होगी क्योंकि को-विन पोर्टल में सही जन्म तिथि दर्ज करने का काम अभी चल रहा है। जब यह पोर्टल एक बार सही काम करने लगेगा तो प्रणाली डिफ़ॉल्ट रूप से उन लाभार्थियों का पंजीकरण नहीं करेगी जो अनुशंसित आयु वर्ग के नहीं हैं।

कमजोर समूहों के बीच टीकाकरण की धीमी गति को देखते हुए, राज्यों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया कि 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को कोविड19 वैक्सीन की दोनों खुराकें दी जाएं। पात्र लाभार्थियों का टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए जिला और ब्लॉक स्तरों पर नियमित समीक्षा की जाएगी।

राज्यों को उपलब्ध कोविड19 टीकों का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने की भी सलाह दी गई। पहले के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य वैसे टीकों को बदल सकते हैं जो एक्सपायर होने वाले हैं। उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि टीके बर्बाद नहीं होने चाहिए।

इस वर्चुअल बैठक में स्वास्थ्य सचिव और एनएचएम मिशन के निदेशकों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य अधिकारियों के साथ अपर सचिव (स्वास्थ्य) डॉ. मनोहर अगनानी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

गुणवत्ता से समझौता किए बिना ही निर्माण की लागत में कमी लानी होगी : गडकरी

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि गुणवत्ता से समझौता किए बिना ही निर्माण की लागत में कमी लानी होगी। इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा आयोजित भारत में सडक़ विकास विषय पर आयोजित 17वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सडक़ों के निर्माण में विभिन्न अपशिष्ट सामग्री जैसे रबर और प्लास्टिक का उपयोग करके सीमेंट तथा स्टील पर आधारित निर्भरता को कम किया जा सकता है।

नितिन गडकरी ने कहा है कि नवाचार, उद्यमिता, विज्ञान, अनुसंधान और कौशल इन सब को हम ज्ञान कहते हैं और इन्हें अपने उपयोग में लाना ही भविष्य है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डीपीआर बनाने के लिए ठेकेदारों और कंपनियों की रेटिंग हेतु नीति बनाने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि इथेनॉल, मेथनॉल के साथ ही

बायो डीजल, बायो सीएनजी और इलेक्ट्रिक ग्रीन हाइड्रोजन भविष्य के लिए ईंधन का कार्य करेंगे। गडकरी ने कहा कि यह देश के लिए अधिक विकल्प उत्पन्न करने और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने का समय है। नितिन गडकरी ने बताया कि बायोमास से कोलतार बनाने की नीति बनाने की भी योजना है। केंद्रीय मंत्री ने सडक़ सुरक्षा पर जोर दिया और कहा कि इस क्षेत्र में सभी हितधारकों से अधिकाधिक प्रयासों की आवश्यकता है।

कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं- मानने होंगे स्कूल के नियम

बेंगलुरू (आरएनएस)। कर्नाटक हाई कोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने को लेकर एक महत्वपूर्ण मामले में फ़ैसला सुनाते हुए छात्राओं की याचिका ख़ारिज कर दी है। अदालत ने साथा ही कहा है कि इस्लाम धर्म में हिजाब पहनना एक अनिवार्य प्रथा नहीं है। स्कूल-कॉलेज में छात्र यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है।

कोर्ट ने कहा है कि, स्कूल यूनिफार्म को लेकर बाध्यता एक उचित प्रबंधन है। छात्र या छात्रा इसके लिए इंकार नहीं कर सकते हैं। फैसला आने के बाद सभी

न्यायाधीशों की सुरक्षा बड़ा दी गई है। इस मामले की सुनवाई के लिए नौ फरवरी को चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की बेंच का गठन किया गया था। लड़कियों की ओर से याचिका दायर कर मांग की गई थी कि, क्लास के दौरान भी उन्हें हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए, क्योंकि हिजाब उनके धर्म का अनिवार्य हिस्सा है।

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इस ममाले में 25 फरवरी को सुनवाई पूरी कर ली थी। साथ ही कोर्ट ने अपना फैसला भी सुरक्षित रख लिया था। फैसले को देखते हुए एहतियातन दक्षिण कन्नड़ के जिला कलेक्टर ने आज (15 मार्च) सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी का आदेश दिया है। इसके साथ ही धारा 144 भी लागू की गई है।

कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने लिखा, सत्यमेव जयते... कांग्रेस और पीएफआई के जो लोग हिजाब का राजनीतिकरण कर रहे थे और लोगों के दिमाग में जहर घोल रहे थे उन्हें कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले से जवाब दे दिया है। ये लोग अपने वोटबैंक की गंदी राजनीति कर रहे थे। उम्मीद है कि कांग्रेस अब फूट डालो और राज करो की गंदी राजनीति बंद कर देगी। कर्नाटक सरकार ने राज्य में कर्नाटक एजुकेशन एक्ट-1983 की धारा 133 लागू की थी। इसके तहत सभी स्कूल-कॉलेज में यूनिफॉर्म अनिवार्य कर दी गई है। ऐसे में सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में तय यूनिफॉर्म ही पहननी होगी। वहीं, प्राइवेट स्कूल भी अपनी यूनिफॉर्म चुन सकते हैं।

आतंकी कर रहे थे लोगों को ब्रेनवॉश, सिमी के बाद जेएमबी का नेटवर्क खड़ा करने का पाले थे मंसूबा

भोपाल (आरएनएस)। आतंकवादी संगठन जमात-ए-मुजाहिदीन-बांग्लादेश जेएमबी के लिए काम करने वाली आतंकी देश में एक बार फिर खलीफा राज कायम करना चाहते थे। गोपनीय तौर पर वे व्यापक प्रचार-प्रसार करने में जुटे हुए थे। पकड़े गए चारों आतंकी पहले लोगों से सहज हाव-भाव में मिलते थे, दोस्ती गांठते थे और फिर तमाम किताबों और साहित्य के जरिए उनका ब्रेनवॉश करने में जुट जाते थे। मध्यप्रदेश में स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इङ्क्षडया सिमी का नेटवर्क ध्वस्त होने के बाद आतंकी जमात-ए-मुजाहेदीन-बंग्लादेश का नया नेटवर्क खड़ा करने की तैयारी में थे। यह खुलासा खुद चारों आतंकियों ने मध्यप्रदेश आतंकवाद विरोधी दस्ता एमपी एटीएस की पूछताछ में किया है। एटीएस चारों आतंकियों से फिलहाल अलग-अलग रखकर पूछताछ कर रही है। जांच एजेंसी ने फजहर अली उर्फ मेहमूद, मोहम्मद अकील उर्फ अहमद, जहूरउद्दीन उर्फ इब्राहिम उर्फ मिलोन पठान उर्फ जौहर अली, फजहर जैनुल आबेदीन उर्फ अकरम अल हसन उर्फ हुसैन को एक दिन पहले भोपाल के ऐशबाग इलाके से गिरफ्तार किया था। पकड़े जाने के समय आतंकियों के पास से जो साहित्य मिला है वह बेहद खतरनाक और चौंकाने वाला है। उनके ब्रेनवॉश का तरीका भी खलीफा की अवधारणा को अमलीजामा पहाने वाला था। पूछताछ में उन्होंने स्वीकार भी किया कि वे खलीफा राज को कायम करना चाहते थे। इसके लिए देश और दुनिया में गोपनीय तौर पर इसका प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। वे खलीफा राज को क्यों लागू करना चाहते हैं? इस सवाल के जवाब में आतंकियों ने कहा, मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। वे कहते हैं, हम लोग खलीफा राज (सम्राट) मानते हैं और उसे हर-हाल में लागू करना चाहते हैं। दरअसल खलीफा राज का मतलब गवर्नर से है। वे देश में गवर्नर लॉ लागू करवाना चाहते हैं। वर्ष 1923 से पहले दुनिया में बहुत सारी जगह पर यह व्यवस्था लागू थी, तब गवर्नर सुप्रीमो होता था। लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू होने के बावजूद बहुत सारे कट्टरपंथी संगठन अभी भी इसे लागू करना चाहते हैं। इसीलिए आतंकी अभियान छेड़े हुए हैं। पुलिस की माने तो पकड़े गए आतंकी डेढ़ साल से भोपाल में रह रहे थे। पकड़े गए आतंकियों में तीन बांग्लादेश और एक बिहार का रहने वाला है। ये धार्मिक आयोजन में शामिल होने के लिएकु छ समय के लिए कमरे से बाहर निकलते थे। इसके अलावा वे पूरे समय घर के अंदर रहते थे। वह किसी से मिलते-जुलते नहीं थे। थोड़ी देर के लिए जब ये निकलते थे, तब अपने मंसूबे को अंजाम देते थे। उनका मकसद संगठन में लोगों की भर्ती करना था। इसके लिए उन्हें कुछ युवतियों की भी तलाश थी। एनआईए ने जुलाई 2001 में इस संगठन से जुड़े कुछ आतंकियों को कोलकाता से गिरफ्तार किया था। इनमें संगठन का मुख्य कर्ताधर्ता इनाउर रहमान भी शामिल है। गिरफ्तारी के बाद आतंकियों के मंसूबे का पता देश की प्रमुख जांच एजेंसी को लगा था। उसके बाद एनआईए ने उनके गुनाहों को कई राज्यों को एजेंसियों के साथ साझा किया था।

मिटटी से भरा ट्रैक्टर नहर में गिरा, दो की मौत

ललितपुर (आरएनएस)। थाना मडावरा अंतर्गत ग्राम रनगांव और प्यासा के बीच ईटा बनाने के लिए मिट्टी लेकर आ रहा ट्रैक्टर असंतुलित होकर नहर में जा गिरा जिसमे घनसू कुशवाहा पुत्र रामदास उम्र 20 और प्रीतम कुशवाहा पुत्र रघु उम्र 28 दोनों व्यक्ति ट्रक्टर के नीचे दब गए गए जिसकी सूचना खेतो में काम करने बाले लोगो ने गाँव के लोगो दी तो ग्रामीणों ने जेसीवी मसीन की मदद से दोनों ब्यक्ति को ट्रक्टर के नीचे से निकाल कर बाहर रखा, जिसमे घंसू कुशवाहा मृतावस्था में पड़ा था और प्रीतम की कुछ सांस चल रही थी जिसको एम्बुलेंस के माध्यम से समुदायक स्वस्थ केन्द्र मड़ावरा लगाया गया, लेकिन डाक्टरो ने बताया कि ब्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। जिससे दोनों मृतको के परिवार में कोहराम मच गया दोनों मृतक नव युवकों के पिता पहले ही खत्म हो चुके है जिससे परिवार के अन्य लोगो के घर गुजारे की जिम्मेदारी इन दोनों पर ही थी। मड़ावरा पुलिस ने दोनों स्व को समुदायक स्वास्थ केंद्र लाकर आगे की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है। मृतकों के परिवार और बालों ने ट्रैक्टर मालिक पर आरोप लगाया है कि यह लोग ईटा बनाने के लिए अवैध खनन करके मिट्टी लाते हैं जिसके लिए गांव के ही नए लडक़ों को ज्यादा पैसा देने का कहकर घर से साथ ले जाते हैं और उनसे तेज स्पीड में ट्रैक्टर चलाते हैं और इसी कारण यह हादसा हुआ है।

श्रीलंका में रोचक ढंग से पश्चिमी बेड़े की तैनाती का कार्य हुआ समाप्त

नई दिल्ली (आरएनएस)। श्रीलंका में पश्चिमी बेड़े की तैनाती 12 मार्च 2022 को दोनों नौसेनाओं के बीच एक समुद्री साझेदारी अभ्यास के साथ समाप्त हुई। कोलंबो बंदरगाह से प्रस्थान करने पर, आईएन जहाजों चेन्नई और तेग ने श्रीलंका की नौसेना के जहाज सिंदुरला के साथ अभ्यास किया। सुचारू रूप से आयोजित अभ्यास की शुरुआत श्रीलंकाई नौसेना के तेज आक्रमण करने वाले हवाई जहाजों द्वारा बंदरगाह छोडऩे वाले जहाजों के खिलाफ असंयमित खतरे की नकली स्थिति के साथ हुई। इसके बाद, नाविक विद्या अभ्यासों के रूप में, दोनों देशों की नौसेनाएं जहाज खींचने, समुद्र में फिर से भरने के लिए स्टेशन बनाकर रखने और नजदीक से युद्धाभ्यास करने के लिए एक-दूसरे के करीब आई। भारतीय नौसेना के चेतक हेलीकॉप्टर ने भी अभ्यास में भाग लिया। अभ्यास पारंपरिक तरीके से समाप्त हुआ, जिसमें श्रीलंकाई जहाज भारतीय नौसेना के जहाजों की तरफ विपरीत दिशाओं से और निजी कर्मियों के साथ बढ़े और एक-दूसरे को अलविदा कहा। नौसेनाओं के बीच पेशेवर बातचीत अत्यंत उपयोगी रही और उनके बीच आपसी मेल-जोल बढ़ा।

चैनल मीडिया वन के प्रसारण को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी

❐ केंद्र के आदेश पर रोक

नई दिल्ली (आरएनएस)। उच्चतम न्यायालय ने मलयालम समाचार चैनल मीडिया वन को अंतरिम राहत देते हुए उसके प्रसारण को मंगलवार को हरी झंडी दिखा दी। न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने चैनल के प्रसारण पर रोक संबंधी केंद्र सरकार के 31 जनवरी 2022 के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। शीर्ष अदालत ने केंद्र के फैसले को उचित ठहराने वाले केरल उच्च न्यायालय के फैसले पर अंतरिम रोक लगाते हुए चैनल का प्रसारण पहले की तरह सामान्य तरीके से जारी रखने

की अनुमति दे दी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए 31 जनवरी को मीडिया वन का लाइसेंस रद्द करने का फैसला लिया था। पीठ ने आज मीडिया वन को प्रसारण की अनुमति देने के साथ ही केंद्र सरकार से 26 मार्च तक जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया।

याचिकाकर्ता मलयालम समाचार चैनल ने केंद्र सरकार के फैसले को उचित ठहराने वाले उच्च न्यायालय के उस फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। विशेष अनुमति याचिका 02 मार्च को दायर की गई थी, जिसमें चैनल ने अपनी प्रसारण सेवाएं जारी रखने की अनुमति देने की गुहार लगाई थी। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने 10 मार्च को सुनवाई के बाद केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा था कि वह उच्च न्यायालय के समक्ष पेश की गई आंतरिक फाइलों को रिकॉर्ड में लाए। इससे पहले मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने याचिका पर शीघ्र सुनवाई की गुहार लगाते हुए कई तर्क दिए थे। उन्होंने कहा कि चैनल के करोड़ों दर्शक हैं। करीब 350 कर्मचारियों की रोजी-रोटी इससे जुड़ा हुआ है। करीब 11 साल के प्रसारण के दौरान चैनल के खिलाफ इस प्रकार की कोई शिकायत की गई है। उन्होंने चैनल के प्रसारण पर प्रतिबंध को प्रेस की स्वतंत्रता और सूचना के अधिकार के खिलाफ बताते हुए अति शीघ्र सुनवाई पर जोर दिया था। उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने सरकार के फैसले को सही ठहराया था। बाद में उच्च न्यायालय के दो सदस्यीय पीठ ने फरवरी को एकल पीठ के उस फैसले को बरकरार रखा था। याचिकाकर्ता चैनल को 2020 में दिल्ली दंगों पर अपनी कथित तौर पर गलत रिपोर्टिंग के मामले में 48 घंटे के प्रतिबंध का सामना करना पड़ा था।